

एंजेल टैक्स पर छूट

[केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड \(CBDT\)](#) ने नविशकों की कुछ श्रेणियों को [एंजेल टैक्स](#) की वसूली से छूट देने के प्रस्ताव की घोषणा की है।

इस कदम का उद्देश्य स्टार्टअप में नविश को प्रोत्साहित करना और कराधान के बोझ को कम करना है। इसके अतिरिक्त CBDT द्वारा नविशी नविशकों के लिये पाँच नए मूल्यांकन के तरीके प्रस्तुत किये गए हैं, जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF) और नेट एसेट वैल्यू (NAV) के तरीकों से ऊपर विकल्पों का वसितार करते हैं।

एंजेल टैक्स:

- 'एंजेल टैक्स' के रूप में जाना जाने वाला प्रावधान प्रारंभ में वर्ष 2012 में आपस में संबद्ध कंपनियों को नविश के माध्यम से अत्यधिक धन अर्जन और इसके उपयोग को हतोत्साहित करने के लिये प्रस्तुत किया गया था।
- यह वह कर है जो गैर-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा ऑफ-मार्केट लेन-देन में शेर जारी करने के माध्यम से एकत्र की गई धनराशि पर भुगतान किया जाना चाहिये, यदाकि वह कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक है।
 - उचित बाजार मूल्य (Fair Market Value- FMV) परसिंपत्तिका वह मूल्य है जब करेता और विकरेता को इसके संबंध में जानकारी होती है तथा वह बिना दबाव के व्यापार करने के लिये तैयार हो जाते हैं।

CBDT द्वारा एंजल कर के संबंध में किये गए परिवर्तन:

- वदेशी नविशकों को शामिल करने के लिये वसितार:
 - [वित्त अधिनियम, 2023](#) के तहत [वदेशी नविशकों](#) को एंजल कर प्रावधान के दायरे में शामिल करने के लिये [आयकर अधिनियम](#) के एक प्रासंगिक खंड में संशोधन किया गया था।
 - वर्तमान में यदाकि एक [स्टार्ट-अप](#) कंपनी किसी नविशी से इक्विटी नविश प्राप्त करती है जो शेरों के अंकित मूल्य से अधिक है, तो इसे स्टार्ट-अप की आय के रूप में माना जाता है एवं इस पर एक वित्तीय वर्ष में 'अन्य स्रोतों से आय' की श्रेणी के अंतर्गत आयकर लगाया जाता है।
 - हालिया संशोधन में वदेशी नविशकों को भी शामिल करने के लिये इस नियम का वसितार किया गया है, अर्थात् वदेशी नविशकों से धन जुटाने वाले स्टार्ट-अप भी अब कराधान के अधीन होंगे।
 - हालाँकि उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप को इस प्रावधान से बाहर रखा गया है।
- सरकार और मान्यता प्राप्त नविशकों को छूट:
 - CBDT ने नविशकों की कई श्रेणियों को रेखांकित किया है जिन्हें एंजेल टैक्स से छूट मिलेगी। इसमें शामिल हैं:
 - सरकार और सरकार से संबंधित नविशक जैसे कि केंद्रीय बैंक, संप्रभु धन कोष और अंतरराष्ट्रीय या बहुपक्षीय संगठन या जहाँ सरकार का स्वामित्व 75% या अधिक है।
 - बीमा कारोबार में शामिल बैंक या संस्थाएँ।
 - सेबी के साथ श्रेणी-1 में [वदेशी पोर्टफोलियो नविशक \(FPI\)](#), बंदोबस्ती नधि और पेंशन नधि के रूप में पंजीकृत संस्थाएँ।
 - ब्रांड-बेसड पुल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स या फंड्स जहाँ नविशकों की संख्या 50 से अधिक है और ऐसा फंड हेज फंड नहीं है, उन्हें भी छूट दी गई है।
 - हेज फंड नविशकों से धन एकत्र करते हैं और सकारात्मक रटिर्न प्राप्त करने के लक्ष्य के साथप्रतभूतियों या अन्य प्रकार के नविशों में नविश करते हैं।
 - जैसा कि नाम से पता चलता है, फंड बैकल्पिक नविश दृष्टिकोणों को नयोजित करके बाजार की अस्थिरता के खिलाफ नविशक की पूंजी के जोखिम को कम करने की कोशिश करता है।
- मूल्यांकन नियमों में प्रस्तावित परिवर्तन:
 - यदाकि सरकार द्वारा अधिसूचित एक अनविशी संस्था शेर जारी करने के लिये किसी कंपनी को प्रतफिल प्रदान करती है, तद्विधि शेरों का उचित बाजार मूल्य (FMV) उस प्रतफिल के अनुरूप मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।

◦ हालाँकि यह प्रतफल शेयर जारी करने के 90 दिनों के अंदर अधसूचति इकाई से प्राप्त कुल प्रतफल से अधिक नहीं होना चाहिये ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. पंजीकृत वदिशी पोर्टफोलियो नविशकों द्वारा उन वदिशी नविशकों, जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बनिा भारतीय स्टॉक बाज़ार का हसिसा बनना चाहते हैं, को नमिनलखिति में से क्या जारी कथिा जाता है? (2019)

- (a) जमा प्रमाण पत्र
- (b) वाणजियकि पत्र
- (c) वचन पत्र (प्रॉमसिसरी नोट)
- (d) सहभागति पत्र (पार्टसिपिटरी नोट)

उत्तर: (d)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/exemptions-on-angel-tax>

